

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- 388 /11-सी-FP/UP/Road/39827/2019, लखनऊ, दिनांक: अगस्त 26, 2019

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ०प्र० शासन,
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- जनपद-झांसी में झांसी-बबीना-ललितपुर राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-26 के किमी० सं०-3 से 11 तक झांसी हंसारी से खैलार की सीमा तक दोनों पटरी पर चौड़ीकरण/चार लेन में प्रभावित 14.80 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 945 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

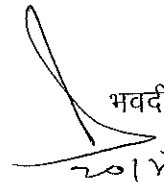
सन्दर्भ:- उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक-92/81-2-2019-800(64)/2019, दिनांक 09.07.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उ०प्र० शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित प्रकरण में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना/अभिलेख निर्धारित प्रारूप में वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी ने अपने पत्रांक-499/33-1, दिनांक 16.08.2019 के द्वारा संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण एवं उससे सम्बन्धित अभिलेखों की दो प्रतियां इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


भवदीय

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- /11-सी-FP/UP/Road/39827/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (भवन विंग), लो०नि०वि०, झांसी।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।